को पेश हो।

20/3/22 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित हैं। बहस प्रा० पत्र T.I. सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश/ दिनांक 22/3/22 को पेश हो।

22/3/22 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित हैं। बहस प्रा० पत्र T.I. में वकील पक्षकारान ने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। जमाबंदी रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजी ग्राम नैनवां प्रथम की खाता संख्या 6469/3553 रकबा 0.097। हेक्टेयर भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 शांति पुत्री देवचंद माली खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वकील प्रार्थी ने अपनी याचना में प्रत्यार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु निवेदन किया तथा निवेदन किया कि रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति तत्काल बनायी रखी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.22 15:14:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जवाब प्रार्थना पत्र में वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थिया शांति के अनपढ़ एवं वृद्ध महिला होने के कारण फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार करवा लिये है तो वह प्रभाव शून्य है। अप्रार्थिया ने कभी खसरा नम्बरान 3553, 3567 का बैचान प्रार्थीगण व लादूलाल के पक्ष में नही किया। अप्रार्थिया लगातार मौके पर काबिज कास्त है। अप्रार्थिया ने कभी प्रार्थीगण को कब्जा नही संभलाया है। अप्रार्थिया 1 ने दिनांक 26/5/2021 को रजिस्टर्ड बैचान अप्रार्थिया सं. 2 के हक में कर कब्जा संभलाया है। तब से अप्रार्थिया सं. 2 मौके पर बहैसियत खातेदार काबिज कास्त है। अतः निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, रिकार्ड दस्तावेज, जवाब अप्रार्थीगण तथा वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में है। वर्तमान में अप्रार्थिया संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार दर्ज है। इस प्रार्थना पत्र में अस्थायी निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में निर्णय किया जाना है। चूंकि अप्रार्थिया रिकार्डेड खातेदार है, इसलिए प्रथम दृष्टया केस अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार एवं राजस्व मण्डल द्वारा [illegible] प्रकरणों में अभिनिर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार रिकार्डेड खातेदार [illegible] प्रकट नही कर सकते है। अतः अप्रार्थीनीय शांति	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.22 16:14:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी

एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 Re Act अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र में दिनांक 01/11/2021 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.22 15:14:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner